न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर

अजमेर न्यायक्षेत्र, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी	–	**डॉ. विमल व्यास आर.जे.एस.**
सी.आई.एस. संख्या	–	**5684/2014**
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	–	**415/2012**
एफ. आई. आर. संख्या	–	**86/2012**
सीएनआर नंबर-	–	**RJAJ220000652012**
आरक्षी केन्द्र	–	**पुष्कर**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर। **.....अभियोगी**

बनाम

1– महावीर उर्फ राजू पुत्र श्री तेजाराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नांद, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर।

2– तोलाराम पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नांद पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर। **..... अभियुक्तगण**

अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

अभियोजन अधिकारी, वास्ते राजस्थान राज्य।

श्री अर्जुनसिंह राठौड़, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त तोलाराम

श्री मुकेश सुनारीवाल, अधिवकता वास्ते महावीर उर्फ राजू

–: प्रकरण के संक्षिप्त विवरण :–

अपराध की तिथि	06.05.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	07.05.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि	30.06.2012
आरोप सुनाए जाने की तिथि	15.03.2019
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	24.02.2020
निर्णय आरक्षित किए जाने की तिथि	05.05.2026
निर्णय की तिथि	05.05.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि (यदि हो तो)	–

–: अभियुक्त का विवरण :–

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोष सिद्ध या दोषमुक्त	दिये गए दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि
1.	महावीर उर्फ राजू	07.05.2012	10.05.2012	457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता	दोष मुक्त	––	––
2.	तोलाराम	07.05.2012	30.07.2012				

–: अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाह सूची :–

क. अभियोजन

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू–1	मूलचंद	गवाह
पीडब्ल्यू–2	कालूराम	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–3	सांवताराम	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–4	पूनमचंद	परिवादी
पीडब्ल्यू–5	बोदूलाल	पुलिस गवाह
पीडब्ल्यू–6	शिवराज	नक्शा मौका गवाह
पीडब्ल्यू–7	जाकिर	औपचारिक गवाह
पीडब्ल्यू–8	रामपाल	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर्ता

ख. बचाव

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

–: अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श सूची :–

क. अभियोजन

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–1
2	फर्द जब्ती अभियुक्त तोलाराम	प्रदर्श पी–2

3	फर्द जब्ती अभियुक्त राजू	प्रदर्श पी–3
4	तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल	प्रदर्श पी–4
5	फर्द जब्ती नकब व टूटे ताले	प्रदर्श पी–5
6	नक्शा मौका घटना स्थल परिवादी शैतान	प्रदर्श पी–6
7	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल	प्रदर्श पी–7
8	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी–8
9	प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श पी–9
10	पुलिस बयान जाकिर	प्रदर्श पी–10

ख. बचाव

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी संख्या
–	–	–

निर्णय **दिनांक 05.05.2026**

1– इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी पुलिस थाना, पुष्कर की ओर से दिनांक 30.06.2012 को अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुष्कर में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ। कालांतर में श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर के आदेश क्रमांक 09 दिनांक 06.01.2026 की पालना में हस्तगत प्रकरण अंतरित होकर न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ, जिस पर प्रकरण को नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2– अभियोजन वृतांत संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी पूनमचंद ने दिनांक 07.05.2012 को एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पुलिस थाना पुष्कर के ए.एस.आई. शक्तिदान को सब्जी मण्डी रोड, गनाहेडा, पुष्कर पर इस आशय की दी कि उसकी किराणा की दुकान सब्जी मंडी रोड पर है। कल शाम को रात्रि 10:30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। आज सुबह करीब 4:30 पर दुकान पड़ोसी जाकिर ने फोन कर बताया कि उसकी दुकान पर चोर ताला तोड़कर सामान चुरा ले गए। तब वह लड़के मूलचंद के साथ दुकान पर पहुॅचा तो देखा कि दुकान के शटर के दोनो ताले टूटे हुए हैं तथा सामान अस्त–व्यस्त हो रखा था। चैक करने पर सीगरेट के डण्डे व पैकेट, संजोग के पुडे पांच, मीराज के पैकेट, साबुन के पैकेट, दो बीडी पुडे, दो चॉकलेट पैकिट, बीकानेरी सेव नहीं मिले और सामान चेक करनके बाद बता दूंगा। अज्ञात चोटर शटर का ताला तोड़कर ले गए। पड़ोसी के जाग होने से चोर सामान लेकर भाग गए है। नहीं तो और भी सामान ले जाते। दो सरिया ताला तोड़ने वाले दुकान के सामने पड़े, जो उसके नहीं हैं। .....आदि।

3– उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 86/2012 अपराध

अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर दिनांक 15.03.2019 को अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक् से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण द्वारा आरोप से इंकार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई

5– दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

6– तत्पश्चात् अभियुक्तगण का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताते हुए कोई साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7– बहस अंतिम सुनी गई। अभियुक्तगण के धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के बंध पत्र व प्रतिभूति पत्र प्राप्त किए गए।

8– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है किः–

''क्या, अभियुक्तगण ने दिनांक 06/07.05.2012 की मध्य रात्रि के किसी समय पुष्कर स्थित सब्जी मण्डी रोड पर परिवादी पूनमचंद की दुकान में कारावास से दण्डनीय चोरी का अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादी की दुकान में से सिगरेट के डण्डे व पैकेट, संजोग के पुडे पांच, मीराज के पैकेट, साबुन के पैकेट, दो बीडी के पुडे, दो चॉकलेट पैकेट, बीकानेरी सेव को परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की? यदि हाँ तो अभियुक्तगण किस प्रकार के समुचित दण्ड से दण्डनीय है? ''

9– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने दलील दी कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

10– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्तगण की लिप्तता को प्रकट करे। अंत में, अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

11– उपरोक्त परस्पर विरोधी दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 12 साक्षीगण को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन निम्नप्रकार है:–

साक्षी **पीडब्ल्यू –1 मूलचंद** ने शपथ पर कथन किया है कि उसकी पॉवर हाउस के पास गनाहेडा में सब्जी मण्डी रोड पर परचूनी की दुकान है। दिनांक 06.05.2012 की बात है। रात को साढे दस बजे के आसपास वे अपनी दुकान को मंगल करके, बढाकर बन्द करके ताला लगाकर घर चले गये थे। अगले दिन सुबह 4–4:30 बजे जाकिर का फोन आया और उसने उन्हें बताया कि उनकी दुकान में चोरी हो गई है। जिस पर वह, उसके पिता पूनमचन्द, उसका भाई गणेश दुकान पर आये और देखा कि उनकी दुकान के शटर के ताले टूटे हुए थे। दुकान में से बीडी, सिगरेट, चॉकलेट के पैकेट गायब थे, जो कोई चोरी करके ले गया था जिस पर उसके पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट दी। उसी दिन पुलिस ने मेला ग्राउण्ड के पास से उनके सामने दो लडको को पकड़ लिया। जिन्होने अपना नाम तोलाराम और राजू उर्फ महावीर बताया। उनके पास प्लास्टिक के कट्टे में गोल्ड फ्लेग का डण्डा, पिस्तौल नाम की साबुन, संजोग गुटखे, फोरस्क्वायर सिगरेट के डण्डे, चॉकलेट के पैकेट, नमकीन के पाउच व अन्य सामान भरा हुआ था, जो उनकी दुकान से चोरी हुआ था। जो पुलिस ने उसके, उसके पिताजी व अन्य लोगों के सामने जब्त किया था। यह वही सामान था, जो उनकी दुकान से उपरोक्त दोनों लडके ताला तोडकर दुकान में घुसकर चोरी करके ले गये थे। पुलिस ने उसके और कालूराम के सामने उसके पिताजी की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था, जो प्रदर्श पी–1 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस में उसके बयान हुए थे। पुलिस ने दिनांक 07.05.2012 को 09:15 एएम पर मुल्जिम तोलाराम से मेला मैदान पुष्कर में उसके और कालूराम गवाहान के समक्ष सिगरेट, माचिस के पैकेट, प्रकाश बीडी का पुड़ा, संजोग के पैकेट, चॉकलेट की थैली, पिस्तौल छाप साबुन, बीकानेरी भुजिया और मिराज पैकेट बरामद कर जरिये फर्द जब्त किए थे। उक्त सामान उनकी दुकान से चोरी किया हुआ ही सामान था, जिसको उसने मौके पर पहचान कर पुलिस को बताया भी था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 है, जिस पर भी ए से बी उसके तथा सी से डी मुल्जिम तोलाराम के हस्ताक्षर है। उसी समय उसके और कालूराम गवाहान के समक्ष मुल्जिम राजू उर्फ महावीर से भी माचिस, प्रकाश बीडी का पुडा, संजोग गुटखा, चॉकलेट की थैली, बीकानेरी भुजिया के पाउच, पिस्तौल छाप साबुन के पैकेट, फोर स्क्वायर सिगरेट के पैकेट, जो मुल्जिम ने कटटे में रख रखे थे, मेला मैदान पुष्कर से ही पुलिस थाना पुष्कर के एएसआई शक्तिदान सिंह ने बरामद कर जरिये फर्द जब्त किया था, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज पुलिस ने जैर हिरासत मुल्जिम तोलाराम और राजू उर्फ महावीर की निशांदेही से उसके और कालूराम गवाहान के समक्ष तस्दीक नक्शा मौका बनाया थाए जो प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि दुकान में वे होलसेल दुकान से जो भी सामान खरीदते हैं, उसका बिल लेते हैं और बही खाते में भी दर्शाते हैं। यह कहना सही है कि जो सामान उसके सामने जब्त किया गया था, वो मेला मैदान पर जब्त किया गया था, जो एक खुला स्थान है, जहां कोई भी व्यक्ति आ–जा सकता है। यह कहना सही है कि पत्रावली पर उनकी दुकान से चोरी हुए सामान के बिल शामिल नहीं है। यह कहना सही है कि मुल्जिमान

से जो सामान जब्त हुआ तथा उनकी दुकान से चोरी हुआ, वो किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। यह कहना सही है कि उसने अपनी दुकान का शटर तोडकर चोरी करते हुए किसी को नहीं देखा। यह कहना सही है कि उसकी दुकान से चोरी किस समय हुई थी, वह नहीं बता सकता। यह कहना सही है कि उसे उसकी दुकान में चोरी होने की सूचना जाकिर से मिली थी। यह कहना सही है कि जहां से मुल्जिमान को पकडा, वहां कोई चारदीवारी नहीं थी बल्कि वहां मिटटी का गुढा था। यह कहना सही है कि शैतान और कालूराम उसके परिचित हैं, जो उसकी दुकान के पास ही ठेला लगाते हैं। यह कहना सही है कि जिस स्थान से बरामदगी की गई थी, उसके स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज पुलिस ने उसके सामने नहीं लिए थे। यह कहना सही है कि उसकी दुकान के आसपास और भी लोगों की दुकानें हैं। यह कहना सही है कि वहां पर इन्दू खां का मकान भी है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1 बनाते समय पुलिस ने इन्दू खां या अन्य किसी दुकानदार को उसके सामने नहीं बुलाया। यह कहना गलत है कि आरोपीगण से उनकी दुकान से उधार सामान लेने का लेनदेन का कोई विवाद हो और इस कारण उन्होने मुकदमा दर्ज कराया हो।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–2 कालूराम** ने शपथ पर कथन किया कि वह पिछले 15 सालो से मंडी चौराहे पर नाश्ते का ठेला लगाता है। आज से लगभग 10–12 साल पहले उनके ब्याही पूनमचंद की दुकान में चोरी हो गई थी, तो पूनमचंद ने उसे थाने पर बुलाया था और पुलिस वालो ने उससे पूछा कि पूनमचंद को जानते हो क्या, तो उसने कहा जानता हूं और पुलिस वालों ने उसके कागजों पर साईन करवाये। उसको लेकर पुलिस न ही घटनास्थल पर गई थी, न ही उसके सामने कोई वस्तु जब्त की थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि यह कहना सही है कि नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी–1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसे ध्यान नहीं है कि प्रदर्श पी–1 कहां बनाया था। उसे इस बात का ज्ञान है कि न्यायालय के सामने झूठ बोलना अपराध होता है। प्रदर्श पी–1 पर पुलिस वालों के कहने पर उसने हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि पुलिस घटना स्थल पर आई हो और मूलचंद और वह पूनमचंद जी के साथ में मौजूद हो और नक्शामोका घटना स्थल उसके सामने बनाने पर उसने बतौर बतौर गवाह हस्ताक्षर किए हों। उसने पुलिस वालों के कहने पर मात्र एक पेज पर ही हस्ताक्षर किए थे। यह कहना भी सही है कि प्रदर्श पी–2 पर भी ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं तथा पी–3 पर भी सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती टायर, टूटे हुए ताले व सरिये प्रदर्श पी–5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। फर्द जब्ती सिगरेट बीडी, चॉकलेट, साबुन, भुजिया प्रदर्श पी–2 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन यह हस्ताक्षर उसने कहां किए आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि सिगरेट, बीडी, चॉकलेट, साबुन, भुजिया, मिराज उसके सामने पूनमचंद की उपस्थिति में तोलाराम से मेला ग्राउण्ड में जब्त किया हो। यह कहना भी गलत है कि फर्द जब्ती प्रदर्श पी–3 सिगरेट, बीडी, चाकलेट, साबुन, भुजिया उसके सामने मेला ग्राउण्ड में महावीर से जब्त किया हो। यह कहना भी गलत है कि उसके सामने पुलिस ने महावीर और तोलाराम के साथ जाकर घटना स्थल की तस्दीक की हो लेकिन यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–4 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। अज खुद कहा पुलिस ने करा लिए

थे। यह कहना सही है कि उसने जो एक पेज पर हस्ताक्षर करने वाली बात कही थी, वह झूठ कही थी। सही बात तो यह है कि उसके पांच फर्दों पर हस्ताक्षर हैं। यह फर्द कहां–कहां पर बनाई उसे आज ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि उसने पुलिस के साथ प्रदर्श पी–1 लगायत पी–5 बनाई हो, उस समय मुरतिब स्थान पर गया हो लेकिन अधिक समय होने के कारण आज उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि परिवादी उसका ब्याही होने के कारण सारा सामान मिल गया और मुलजिमान उसके पास नाश्ता करने वाले ठेले पर रोज आते हों और आज वह मुलजिमान से मिलकर उन्हे बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि घटना बाबत उसे कोई जानकारी नहीं है, ना ही उसके सामने कोई कार्यवाही हुई। पुलिस वालों ने उसके खाली कागजो पर हस्ताक्षर करवाये थे। वह प्रदर्श नहीं समझता है, न ही वह मुलजिमान को जानता है, ना ही उसने उन्हे देखा है।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–3 सांवताराम** ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 07.05.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नंबर 86/2012 धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में शक्तिदान एएसआई ने उसके और शिवराज गवाह के समक्ष मुस्तगीस शैतान की उपस्थिति में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–6 है, जो उसके सामने बनाया जाकर ए से बी शक्तिदान जी के हस्ताक्षर है। जिनके हस्ताक्षर वह उनके साथ काम करने से पहचानता है। अगले दिन उक्त प्रकरण में ही उसके और शिवराज गवाह के समक्ष शक्तिदान एएसआई ने घटनास्थल पर पहुंचकर जैर हिरासत मुलजिम तोलाराम और राजू उर्फ महावीर की निशांदेही से घटनास्थल की तस्दीक कर तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर ए से बी शक्तिदान एएसआई के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा ई से एफ महावीर व जी से एच तोलाराम के हस्ताक्षर हैं, जो उसके सामने फर्द पर किए थे। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। अज खुद कहा कि सहवन से रह गये। यह कहना सही है कि उसके एक नक्शा मौका पर हस्ताक्षर करवाये थे और एक पर सहवन से रह गये। इनके अलावा अन्य नक्शा मौका नहीं बनाया गया था। थाने से आगे तिलोरा रोड पर नक्शे मौके बनाये। उसके सामने नक्शे मौके पर शिवराज और शैतान के हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–6 पर उसका कहीं पर नाम नहीं लिखा है। उसके हस्ताक्षरशुदा नक्शा मौका दिनांक 07.05.2012 को तथा बगैर हस्ताक्षर वाला दिनांक 08.05.2012 को बनाया था। उसने नक्शा मौका दुकान का बनाया था। वह दुकान किसकी थी और उस दुकान पर क्या लिखा था वह उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त दुकान के मालिक को वह नहीं जानता। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–6 बनाते समय वह मौके पर नहीं गया हो इसलिए उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–4 पूनमचंद** ने शपथ पर कथन किया कि दिनांक

07.05.2012 को वह अपनी दुकान, जो सब्जी मण्डी रोड़ पर है, को रात्रि साढे दस बजे घर चला गया था। फिर उस रात सुबह साढ़े 4 बजे उसके पास उसके पडोसी जाकिर का फोन आया और उसने उसे बताया की उनकी दुकान में चोरी हो गई है। उक्त सूचना पर उसके दोनो बच्चे मूलचंद, गुढा उर्फ गणेश और वह दुकान को चैक करने पहुंचे तो दुकान पर लगा शटर खुला था, उसके ताले टूटे हुए थे तथा दुकान में रखा सामान सिगरेट के डण्डे, मिराज के पैकेट, बीडी के पुड़े, बीकाजी नमकीन के पुडे, साबुन आदि किराने का सामान चोरी हो गया था। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती दुकान पर लगे टूटे हुए ताले व लोहे का सरिया प्रदर्श पी–5 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं तथा दुकान में रखे समान जो चोरी हुआ उसकी जब्ती प्रदर्श पी–2 व पी–3 है दोनो पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह आठवीं तक पढ़ा लिखा है। पुलिस वालो ने उसके बयान लिए थे। उसके बयान दिनांक 07.05.2012 को हुए थे। रिपोर्ट उसके बच्चे मूलचंद ने लिखी थी। घटना के दो दिन बाद रिपोर्ट लिखी थी। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 में न तो घटना की तारीख लिखी हुई है और न ही रिपोर्ट की तारीख। यह कहना सही है कि उक्त चोरी हुए समान के बिल पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 में उसकी दुकान किस नाम से उसका भी इन्द्राज नहीं किया हुआ है। यह कहना सही है कि उसने अपनी दुकान का मालिकाना हक संबंधी कोई दस्तावेज पुलिस वालों को नही दिया था कि घटनास्थल वाली दुकान उसकी हो। यह कहना सही है कि सामान चोरी होने के बाद सबसे पहले उसने सामान को थाने पर देखा था। प्रदर्श पी–1 व पी–5 और पी–2 व पी–3 पर उसके हस्ताक्षर थाने पर खाली कागजों पर कराये थे। यह कहना सही है कि वह तो सूचना मिलने के बाद में घटनास्थल पर गया था इसलिए वह नहीं बता सकता कि चोरी किसने की थी। पुलिस वालो ने सरिये और ताले थाने पर ही दिखाये थे। उसके सामने किसी गवाह के कोई बयान नहीं लिए थे। उसके सभी प्रदर्श पर खाली कागजों पर साईन करवाये थे।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–5 बोदूलाल** ने शपथ पर कथन किया कि वह दिनांक 07.05.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर कानि. के पद पर तैनात था। उस रोज इत्तला पर वह शक्तिदान एएसआई के साथ सब्जीमण्डी पुष्कर मौके पर गया था। वहां परिवादी पूनमचंद धुंधवाल द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट शक्तिदान एएसआई के सामने पेश की जिस पर उन्होने कार्यवाही पुलिस का अंकन कर मजमून रिपोर्ट से धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध का पाया जाना अंकन कर उक्त तहरीरी रिपोर्ट वास्ते कायमी हेतु थाने पर पेश करने के लिए उसे देकर रवाना किया, जिस पर उसने तहरीरी रिपोर्ट आईसी थाना रामपाल एएसआई के सामने पेश की जिन्होने कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान शक्तिदान एएसआई के जिम्मे किया। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पर सी से डी मौके पर शक्तिदान जी एएसआई द्वारा कार्यवाही पुलिस का अंकन कर ई से एफ शक्तिदान एएसआई के हस्ताक्षर है जिन्होने अंकन व हस्ताक्षर उसके

सामने किए थे तथा पुष्ठ भाग पर जी से एच कार्यवाही पुलिस अंकित कर आई से जे रामपाल एएसआई के हस्ताक्षर है जिन्होन अंकन व हस्ताक्षर उसके सामने किये थे व के से एल उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–9 पर भी ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से ही रामपाल एएसआई के हस्ताक्षर है जिनके साथ काम करने से उनके हस्ताक्षर पहचानता है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि यह कहना सही है कि उसने घटनास्थल पर कुछ बिखरा हुआ हो, कुछ टूटा हुआ हो, ऐसी कोई मौका स्थिति नही देखी थी। उसके सामने तो मात्र प्रदर्श पी–8 पेश की थी जिसको लेकर वह थाने पर चला गया था। यह कहना सही है कि वह मौके पर मात्र शक्तिदान एएसआई के साथ 5–10 मिनट ही रूका था और उसके बाद वह थाने पर आ गया था। परिवादी के दुकान नंबर आज उसे ध्यान नहीं है। वह शक्तिदान एएसआई के साथ मौके पर गया, उस समय परिवादी के साथ और कौन–कौन लोग खड़े थे उनके नाम आज उसे ध्यान नही है। यह कहना भी सही है कि परिवादी के साथ कितने लोग खड़े थे वो भी आज उसे ध्यान नही है। यह कहना सही है कि उसे आज मात्र इसी तथ्य का स्मरण है कि प्रदर्श पी–8 मौके से लेकर वह थाने पर गया था। अन्य तथ्य का उसे स्मरण नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–8 वह शक्तिदान एएसआई के अधीनस्थ होने के कारण उनके कहने से थाने पर लेकर गया था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया और आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–6 शिवराज** ने शपथ पर कथन किया कि आज से लगभग 13 साल पहले शैतान की पंचर की दुकान में चोरी हुई थी और पुलिस घटनास्थल पर आई थी और पुलिस ने उसके सामने शैतान सिंह से पूछा था कि किस स्थान पर चोरी हुई है और उस स्थान का नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी–6 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है और उसके अगले दिन पुलिस फिर उस स्थान पर आई थी और उसके साथ दो मुलजिम थे जिनके नाम तोलाराम व राजू थे उक्त मुलजिमानो नें उसके सामने जिस स्थान से चोरी की उस स्थान की तस्दीक की थी और पुलिस ने उनके बताये अनुसार उनकी निशादेही से तस्दीक नक्शामौका घटनास्थल बनाया जो प्रदर्श पी–7 है जिस पर भी आई से जे उसके हस्ताक्षर है। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पढ़ा–लिखा नहीं है। थाने पर पुलिस वालों ने उसे एक बार बुलाया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–6 और पी–7 पर पुलिस वालों ने उसके थाने पर हस्ताक्षर कराए थे।

आगे साक्षी **पीडब्ल्यू–7 जाकिर** ने शपथ पर कथन किया कि उसका पुष्कर में नागौर रोड़ से कृषि मण्डी जाने वाली सड़क पर मकान है और नागौर रोड पर खुलती हुई उसकी पंचर की दुकान है। आज से लगभग 12–13 साल पहले पुलिस आई थी और उसे गवाह बना लिया। उसे कोई चोरी होने की घटना के बारे में जानकारी नही है। सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने मुख्य रूप से कथन किया कि वह पांचवी कक्षा तक पढ़ा लिखा है। यह कहना सही है कि 13 साल पहले घटना के समय वह अपनी दुकान के बाहर ही सोता था। उसकी दुकान से पूनमचंद की दुकान 100 मीटर

की दूरी पर है। यह कहना सही है कि वह उसके घर की आवश्यकता का सामान पूनमचंद की दुकान से ही लाता है। यह कहना गलत है कि उसे इस बात की जानकारी हो कि पूनमचंद की दुकान में चोरी हुई हो। यह कहना सही है कि जब चोरी होने के बाद पूनमचंद की दुकान पर भीड़ हो गई थी तब उसे भी इस बात की जानकारी हो गई थी कि पूनमचंद की दुकान पर चोरी हुई है। जो उसने पहले बोला की पूनमचंद की दुकान पर चोरी हुई इसकी जानकारी नहीं है वो झूठ बोला था जबकि सही बात यह है कि भीड़ होने के बाद उसे जानकारी हो गई थी। उसने पुलिस को उसके पास आई तब मना कर दिया था कि उसे किसी बात की जानकारी नहीं है। उसने पूनमचंद की दुकान से दो लड़के चोरी करके भागते हुए नहीं देखे थे, ना ही वह चिल्लाया था। यह कहना भी गलत है कि उसने पूनमचंद को फोन करके बताया हो कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है। वह पुरखों से ही गनाहेड़ा में रहता हूं। यह उसक घर है, यहीं वह काम करता है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि शैतान कि भी पेट्रोल पम्प के पास दुकान हो। वह सो जाता है तब वह आवाज आने पर भी नहीं उठता है। यह कहना गलत है कि उसे दो लड़को को पूनमचंद जी की दुकान में से प्लास्टिक के थैलों में सामान चोरी करते हुए भागते हुए देखा हो तथा दुकान के बाहर चबूतरी पर टूटे हुए ताले पड़े हो। उससे पुलिस ने कोई साईन नहीं कराये थे, न ही कोई कागज लिया था। उसने अपना नाम पता पुलिस को नही बताया। उसका नाम व पता उसके पुलिस बयानो में लिखे हैं, वह सही लिखे हैं। उसके नाम पते किसने बताये उसे जानकारी नहीं है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श पी–10 का ए से बी भाग गवाह ने पढ़ा, निवासी और स्वंय का नाम देखकर कहा कि सही लिखा है। वह गनाहेडा में रहता है। उसके पुलिस बयान का सी से डी भाग भी सही लिखा है। ई से एफ भाग सही लिखा है लेकिन इसमें लड़को को भागते हुए देखने वाली बात गलत लिखी है, उसने नहीं देखा था। यह कहना गलत है कि वह पंचर की दुकान करता है, वह मजदूरी करता है, इसलिए कोई विवाद में नही पड़ना चाहता इसलिए आज न्यायालय में झूठे बयान दे रहा है। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में उक्त साक्षी ने कथन किया कि उसने न चोरी होते हुए देखा और न ही उसे किसी चोर को देखा था और न ही उसे चोरी के सम्बंध में जानकारी है।

साक्षी **पीडब्ल्यू–8 रामपाल** ने शपथ पर किया कि वह दिनांक 07.05.2012 को पुलिस थाना पुष्कर पर एएसआई के पद पर तैनात था। उस रोज आईसी थाना भी वह ही था। उस रोज परिवादी पूनमचंद ने गनाहेडा पर एक तहरीरी रिपोर्ट शक्तिदान एएसआई के सामने पेश की, जिस पर उन्होने कार्यवाही पुलिस अंकित कर प्रकरण धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता में घटित होना मानकर इंद्राज कर उक्त रिपोर्ट वास्ते दर्ज हेतु बोदूलाल कानि. के मार्फत थाने पर उसे आईसी थाना के समक्ष भिजवायी जिस पर उसके द्वारा प्रकरण धारा 457, 380 भारतीय दण्ड संहिता मे दर्ज कर अनुसंधान शक्तिदान एएसआई के जिम्मे किया तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पर सी से डी शक्तिदान एएसआई द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर ई से एफ उनके हस्ताक्षर है तथा जी से एच उसके द्वारा कार्यवाही पुलिस अंकित कर आई से जे उसके हस्ताक्षर है जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी–9 है जिस पर ए से बी बोदूलालए सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया कि वह पुष्कर थाने पर 2009 से अक्टूबर 2012 तैनात था। यह कहना सही है वह पुष्कर थाने पर पदस्थापित हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है। यह उसे पता नही है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 परिवादी कहां से लिखकर लाये थे। यह कहना सही है कि उसके द्वारा अनुसंधान नहीं किया गया था। यह कहना सही है कि तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पर पुलिस थाना पुष्कर पर पेश करने की तारीख अंकित नहीं है।

12– इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध सकल मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि हस्तगत प्रकरण में आपराधिक अभियांत्रिकी का प्रादुर्भाव परिवादी पूनमचंद पीडब्ल्यू–4 द्वारा दिनांक 07.05.2012 को एक रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 पुलिस थाना पुष्कर के एएसआई शक्तिदान सिंह के समक्ष घटनास्थल पर पेश करने पर हुआ, जिसके माध्यम से उसने कथन किया कि उसकी किराणा की दुकान सब्जी मंडी रोड पर है। दिनांक 06.05.2012 को रात्रि 10:30 बजे वह अपनी दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह करीब 4:30 पर दुकान के पड़ोसी जाकिर ने फोन कर बताया कि उसकी दुकान पर चोर ताला तोड़कर सामान चुरा ले गए। तब वह अपने लड़के मूलचंद के साथ दुकान पर पहुॅचा तो देखा कि दुकान के शटर के दोनो ताले टूटे हुए हैं तथा सामान अस्त–व्यस्त हो रखा था। चैक करने पर सीगरेट के डण्डे व पैकेट, संजोग के पुडे पांच, मीराज के पैकेट, साबुन के पैकेट, दो बीडी पुडे, दो चॉकलेट पैकिट, बीकानेरी सेव नहीं मिले और सामान चेक करनके बाद बता दूंगा। अज्ञात चोटर शटर का ताला तोड़कर ले गए। पड़ोसी के जाग होने से चोर सामान लेकर भाग गए है,जिससे प्रकट होता है कि प्रकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह परिवादी पूनमचंद व उसको फोन पर चोरी की सूचना देने वाला जाकिर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी ने भी अभियुक्तगण को चोरी करते हुए नहीं देखा है, इसलिए यह प्रकरण धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसरण में की गई बरामदगी पर निर्भर हो जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि प्रकरण में बरामदगी के सम्बंध में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना अभियुक्तगण द्वारा नहीं दी गई है और प्रदर्श पी–2 व पी–3 फर्द जब्ती घटना के तुरन्त पश्चात गवाह कालूराम, पूनमचंद व मूलचंद के समक्ष तैयार की गई है। गवाह परिवादी पूनमचंद न्यायालय के समक्ष पीडब्ल्यू–4, साक्षी कालूराम पीडब्ल्यू–2 व मूलचंद पीडब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित हुए हैं। परिवादी पीडब्ल्यू–4 पूनमचंद ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि दिनांक 07.05.2012 को वह अपनी दुकान, जो सब्जी मण्डी रोड़ पर है, को रात्रि साढे दस बजे बंद कर घर चला गया था। फिर सुबह साढ़े 4 बजे उसके पास उसके पडोसी जाकिर का फोन आया और जिसने उसे बताया की उसकी दुकान में चोरी हो गई है। उक्त सूचना पर उसके दोनो बच्चे मूलचंद, गुढा उर्फ गणेश और वह दुकान को चैक करने पहुंचे तो दुकान पर लगा शटर खुला था, उसके ताले टूटे हुए थे तथा दुकान में रखा सामान सिगरेट के डण्डे, मिराज के पैकेट, बीडी के पुड़े, बीकाजी नमकीन के पुडे, साबुन आदि किराने का सामान चोरी हो गया था। साथ ही उक्त गवाह ने अपने कथनों के समर्थन में

घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी–8, उसके अनुसरण में जारी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–1, फर्द जब्ती टूटे हुए ताले व लोहे के सरिये प्रदर्श पी–5 तथा दुकान में से चोरी गए सामान की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व पी–3 को प्रदर्शित कराया। अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त ने कथन किया कि उसने दुकान के मालिकाना हक सम्बंधी कोई दस्तावेज पुलिस वालों को नहीं दिए। आगे इस साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सामान चोरी होने के बाद सबसे पहले उसने सामान को थाने पर देखा था। आगे कथन किया कि प्रदर्श पी–1 व पी–5 तथा प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर हस्ताक्षर थाने पर खाली कागजों पर करवाए थे। यह स्वीकार किया कि वह तो सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर गया था इसलिए वह नहीं बता सकता हे कि चोरी किसने की। पुलिस वालों ने सरिये और ताले थाने पर ही दिखाये थे। इस प्रकार से परिवादी की जिरह में यह स्वीकारोक्ति है कि उसकी दुकान से चोरी गया सामान जो प्रदर्श पी–2 व पी–3 द्वारा जब्त किया जाना अभियोजन द्वारा बताया जा रहा है, वह इस साक्षी ने पहली बार पुलिस थाने में देखा था। प्रदर्श पी–2 व पी–3 फर्द जब्ती का अवलोकन किया जाए तो उक्त दोनो दस्तावेज मेला मैदान पुष्कर में दिनांक 07.05.2012 को समय क्रमशः 9:15 व 9:20 एएम पर तैयार किया जाना अंकित किया हुआ।

13– परिवादी पूनमचंद के पुत्र मूलचंद साक्षी पीडब्ल्यू–1 ने अपने मुख्य परीक्षण में अपने पिता द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार ही कथन किए हैं किन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि जो होलसेल दुकान से सामान खरीदते हैं, उसका बिल लेते हैं और बही खाते में भी दर्शाते हैं किन्तु आगे यह स्वीकार किया कि पत्रावली पर उनकी दुकान से चोरी हुए सामान के बिल शामिल पत्रावली नहीं है। आगे यह भी स्वीकार किया कि जो सामान उसके सामने जब्त किया वो मेला मैदान पर जब्त किया गया था, जो एक खुला स्थान है, जहां पर कोई भी आ–जा सकता है। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण से जो सामान जब्त हुआ वह किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। इस प्रकार से पीडब्ल्यू–1 मूलचंद ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होना तो अपनी साक्ष्य में बताया है लेकिन जिरह में विरोधाभसी कथन करते हुए बताया कि सामान उसके सामने जब्त किया वो मेला मैदान पर जब्त किया गया था, जो एक खुला स्थान है, जहां पर कोई भी आ–जा सकता है। यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तगण से जो सामान जब्त हुआ वह किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। इस प्रकार से परिवादी पूनमचंद के पुत्र मूलचंद ने प्रदर्श पी–2 व पी–3 के जरिये जब्त सामान को विनिर्दिष्ट रूप से अपना चोरी गया सामान होना नहीं बताया है।

14– बरामदगी के अन्य गवाह पीडब्ल्यू–2 कालूराम ने अपने मुख्य परीक्षण में ही कथन किया है कि पुलिस न तो उसे घटना स्थल पर लेकर गई और न ही उसके सामने कोई वस्तु जब्त की थी तथा सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु यह हस्ताक्षर उसने कहां किए आज ध्यान नहीं होना बताया और इस सुझाव को गलत बताया कि सिगरेट, बीडी, चॉकलेट, साबुन ,भूजिया, मिराज उसके सामने पूनमचंद की उपस्थिति

में तोलाराम से मेला ग्राउण्ड में जब्त किए हों। इस साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया कि प्रदर्श पी–3 फर्द जब्ती सिगरेट, बीडी, चॉकलेट, साबुन, भुजिया उसके सामने मेला गाउण्ड में महावीर से जब्त किए हों। इस प्रकार से स्वयं परिवादी पूनमचंद पीडब्ल्यू–4 व जब्ती के स्वतंत्र गवाह कालूराम पीडब्ल्यू–2 ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व पी–3 की ताईद नहीं की है तथा जब्ती के अन्य गवाह मूलचंद पीडब्ल्यू–1 ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि दुकान में जो होलसेल दुकान से सामान खरीदते हैं, उसका बिल लेते हैं और बही खाते में भी दर्शाते हैं किन्तु उनकी दुकान से चोरी हुए सामान के बिल शामिल पत्रावली नहीं है। यह भी स्वीकार किया कि जो सामान उसके सामने जब्त किया वो मेला मैदान पर जब्त किया गया था, जो एक खुला स्थान है, जहां पर कोई भी आ–जा सकता है और अभियुक्तगण से जो सामान जब्त हुआ वह किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाता है। इस प्रकार से प्रकरण के परिवादी पूनमचंद पीडबल्यू–1, स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यू–2 कालूराम ने प्रदर्श पी–2 व पी–3 पर अपने हस्ताक्षर होना तो बताया है किन्तु उक्त प्रदर्श पी–2 व पी–3 जब्ती की फर्द उनके सामने तैयार की गई हो, इसके सम्बंध में विरोधाभासी कथन किए हैं।

15– परिवादी पक्ष जिस जाकिर नाम के व्यक्ति द्वारा चोरी की सूचना फोन पर दिया जाना अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में बता कर आ रहा है, वह जाकिर पीडब्ल्यू–7 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षा में ही चोरी की घटना की जानकारी होने से इंकार किया है और सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव को गलत बताया कि उसे पूनमचंद की दुकान में चोरी होने की जानकारी हो। बल्कि इस साक्षी ने यह कथन किया कि भीड होने के बाद उसे जानकारी हो गई थी। आगे इस साक्षी ने कथन किया कि पूनमचंद की दुकान से दो लड़कों को चोरी करके भागते हुए उसने नहीं देखा और न ही वह चिल्लाया और न ही उसने फोन करके पूनमचंद को बताया हो कि उसकी दुकान में चोरी हो गई है।

16– आगे साक्षीगण पीडब्ल्यू–3 सांवताराम व पीडब्ल्यू–6 शिवराज ने अपनी साक्ष्य में नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–6 व तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी–7 पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। साक्षी पीडब्ल्यू–5 बोदूलाल ने अपनी साक्ष्य में प्रकरण में घटनास्थल पर परिवादी पक्ष द्वारा शक्तिदान सिंह एएसआई को पेश तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 लाकर पुलिस थाना पुष्कर के थाना इंचार्ज रामपाल को लाकर देने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है। पीडब्ल्यू–8 रामपाल ने बोदूलाल द्वारा पेश की गई तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–9 तैयार करने की औपचारिक प्रकृति की साक्ष्य दी है।

17– इस प्रकार से प्रकरण में प्रदर्श पी–2 व पी–3 के जरिये जो माल अभियुक्तगण के कब्जे से जब्त करना बताया गया है, वह माल परिवादी पक्ष का चोरी गया माल ही हो, इसके सम्बंध में परिवादी पक्ष की ओर से कोई बिल आदि पेश नहीं किए गए हैं, ना ही कोई ठोस सकरात्मक साक्ष्य दी गई, इसलिए यह साबित नहीं होता है कि परिवादी पक्ष प्रदर्श पी–8 तहरीरी रिपोर्ट के माध्यम से स्वयं की दुकान से जो सामान चोरी जाना बता रहा है,

वही सामान प्रकरण में प्रदर्श पी–2 व पी–3 के जरिये जब्तशुदा सामान हो।

18– इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी को साबित करने के लिए जिन गवाहान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण गवाह परिवादी पूनमचंद व स्वतंत्र गवाह कालूराम ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 व पी–3 की पुष्टि नहीं की और पीडब्ल्यू–1 मूलचंद ने प्रकरण में प्रदर्श पी–2 व पी–3 के जरिये जब्तशुदा सामान किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष ने अपनी कहानी के समर्थन में जिन मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को पेश किया है, उनके सूक्ष्म अवलोकन से अभियोजन की कहानी संदेह के बादलों से आच्छादित हो जाती है।

19– सम्प्रति, अभियोजन पक्ष, अपनी मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर इस अवधारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा कि अभियुक्तगण ने दिनांक 06/07.05.2012 की मध्य रात्रि के किसी समय पुष्कर स्थित सब्जी मण्डी रोड पर परिवादी पूनमचंद की दुकान में कारावास से दण्डनीय चोरी का अपराध करने के लिए रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर परिवादी की दुकान में से सिगरेट के डण्डे व पैकेट, संजोग के पुडे पांच, मीराज के पैकेट, साबुन के पैकेट, दो बीडी के पुडे, दो चॉकलेट पैकेट, बीकानेरी सेव को परिवादी की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले जाकर चोरी कारित की। फलतः अभियुक्त 1– महावीर उर्फ राजू पुत्र श्री तेजाराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नांद, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर व 2– तोलाराम पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नांद पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य है।

आदेश

20– परिणामतः अभियुक्त 1–महावीर उर्फ राजू पुत्र श्री तेजाराम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम नांद, पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर 2–तोलाराम पुत्र श्री भंवरलाल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम नांद पुलिस थाना पुष्कर जिला अजमेर को अपराध अंतर्गत धारा 457 व 380 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया जाता है। अभियुक्तगण के हाजिरी बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझे जावें प्रकरण में जब्तशुदा मालखाना (मुताबिक फर्द जब्ती) यदि कोई हो तो नियमानुसार निस्तारित किया जावें एवं यदि जब्तशुदा मालखाना सुपुर्दगीनामे एवं जमानतनामे पर सुपुर्द किया गया हो तो उसका सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझा जावें।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र

21– निर्णय आज दिनांक 05.05.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(डॉ. विमल व्यास)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुष्कर, अजमेर न्यायक्षेत्र